बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

कार्या.आदेश–06/विविध (गजट)–10/2015 पटना, दिनांक :–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (civil) No. 13029/1985 M.C. Mehta V/S Union Government of India में BS-IV उत्सर्जन मानक के वाहनों का निबंधन एवं विक्रय दिनांक 01.04.2020 से प्रतिबंधित किया गया है ।

प्रांसंगिक न्यायादेश के आलोक में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 1693 दिनांक 27.02.2020 एवं पत्रांक 1923 दिनांक 18.03.2020 द्वारा शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिये गये है।

उपरोक्त स्थिति में एक ओर दिनांक 31.03.2020 तक विक्रय किये गये सभी वाहनों का निबंधन अचुक रूप से किया जाना है, दूसरी ओर कोविड–19 वायरसके संभावित संक्रमण से जन सामान्य को बचाने के लिये यह भी आवश्यक है कि परिवहन कार्यालयों में लोगो के आवागमन में कमी लाई जाय।

वाहनों के निबंधन वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के होमोलोगेशन पोर्टल पर वाहन निर्माताओं द्वारा टाईप एप्रुवल के पश्चात् वाहन के विशिष्टियों को अपलोड किया जाता है।

पूर्व से टाईप एप्रुवल प्राप्त एवं पूर्ण निर्मित (Fully Built Motor Vehicle) वाहनों को भौतिक निरीक्षण हेतु निबंधन प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई होती है। केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 62 में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्ण निर्मित (Fully Built Motor Vehicle) में दो वर्ष तक दुरूस्ती प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नये मोटरयान अधिनियम की धारा–44 में किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किये गये मोटरयान से पहली बार निबंधन के प्रयोजन के लिये निबंधन प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी को प्रावधानित किया गया है ।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, दिनांक–01.04.2020 से भारत स्टेज–4 (BS-IV) वाहनों के विक्रय एवं निबंधन को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने एवं कोविड–19 के संक्रमण से आमजन के बचाव तथा परिवहन कार्यालयों में आमजनों के आवागमन को कम किये जाने के उद्धेश्य से पूर्ण निर्मित (Fully Built Motor Vehicle Transport/Non-Transport) वाहनों के निबंधन के पूर्व भौतिक निरीक्षण हेतु निबंधन प्राधिकारी के समक्ष वाहनों के उपस्थापन की प्रक्रिया को दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित किया जाता है ताकि ससमय बी.एस.–04 वाहनों का निबंधन किया जा सके।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

21/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 06/विविध (गजट)–10/2015 2043 पटना, दिनांक :– 21/03/2020.

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।